भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2176
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कच्चा माल सहायता योजना

2176. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिरूपति जिले में कई पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) स्वदेशी और आयातित कच्चे माल की खरीद के लिए वित्तपोषण हेतु बनाई गई कच्चा माल सहायता योजना के अंतर्गत अच्छे ढंग से लाभ नहीं उठा पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिले में कम कवरेज, आवेदनों की प्रक्रिया में देरी या अस्वीकृति के क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तिरुपति जिले से प्राप्त, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(घ) प्रक्रियाओं को सरल बनाने, समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और असली एमएसएमई के अपवर्जन को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं; और

(ङ) क्या सरकार का तिरुपति जिले में उन एमएसएमई को कोई मुआवजा, ब्याज में छूट या विशेष सहायता देने का विचार है जिन्हें योजना के अंतर्गत सहायता में देरी या अस्वीकृति के कारण उत्पादन संबंधी हानि हुई है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) अपने कच्चा माल सहायता (आरएमए) स्कीम के अंतर्गत, सामग्री की खरीद और एमएसएमई को इसकी आपूर्ति के लिए थोक विनिर्माताओं के साथ व्यवस्था करके एमएसएमई को उनकी कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। एनएसआईसी ने चेन्नई में अपना शाखा कार्यालय स्थापित किया है जो तिरूपति के सबसे नजदीक है। तिरूपति जिले के सभी व्यावसायिक प्रस्तावों की देखभाल इसके चेन्नई शाखा कार्यालय द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, एनएसआईसी आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से स्कीम के विषय में जागरूकता बढ़ाने का भरसक प्रयास करता है। एनएसआईसी कार्यालयों के साथ-साथ जिला उद्योग केंद्र भी स्कीम का लाभ प्राप्त करने के दौरान एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही प्रचालन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु एमएसएमई को पथ-प्रदर्शन सहायता प्रदान कर रहे हैं।

आवेदन की प्रक्रिया में अस्वीकृति या देरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार) तक एनएसआईसी को तिरुपति जिलों से आरएमए स्कीम के अंतर्गत 03 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 01 आवेदक को स्वीकृति प्राप्त हुई और 02 आवेदन दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के अधीन हैं।

एनएसआईसी ने अपनी आरएमए स्कीम के अंतर्गत अधिकतम संख्या में एमएसएमई के कवरेज की सुविधा के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता सृजित करना; समय-समय पर प्रक्रियात्मक सरलीकरण और आवेदन प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण; आरएमए आदि का लाभ उठाने के दौरान परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए पथप्रदर्शन सहायता आदि शामिल हैं।
